संख्या- 47 / 1077 / चार-2015-67 (वि0)/12

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कथक संस्थान , कैसरबाग लखनऊ के भवन संख्या- 27/2/2 के सुदृीकरण /परिवर्धन कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर निदेशक, संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या-3454/सं0नि0-6(1)/2009-10, दिनांक 20 मार्च,2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कथक संस्थान , कैसरबाग लखनऊ के भवन संख्या- 27/2/2 के सुदृीकरण /परिवर्धन कार्य हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि रू0 136.19 लाख का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित धनराशि रू0 126.37 लाख (छायाप्रति संलग्न) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कथक संस्थान , कैसरबाग लखनऊ के भवन संख्या- 27/2/2 के सुदृीकरण /परिवर्धन कार्य हेतु धनराशि रू0 70.92 लाख (रूपये सत्तर लाख बानबे हजार मात्र) की निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) प्रायोजना पर नियामानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्य मदों पर व्यय निदेशक, संस्कृति निदेशालय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के कराये जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के सम्बन्ध में निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा एक समिति का गठन किया जाय तथा इसी समिति की देख-रेख में प्राप्त सामग्री का उपयोग /अनुउपयोगी सामग्री का निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्कृति निदेशाल का होगा।

(8) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय ।

(9) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विवरावृत्ति न हो इसे निदेशक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्गत धनराशि रू0 45.01 लाख द्वारा कराये गये कार्यो की पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का होगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा , खेलकूद ,कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 800-अन्य व्यय - 25- राष्ट्रीय कथक संस्थान कैसरबाग लखनऊ के भवन संख्या- 27/2/2 का सुदृीकरण/परिवर्द्धन-24-बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या - 47 / 1077 (1)/चार-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक,यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
5- सचिव, राष्ट्रीय कथक संस्थान, कैसरबाग, लखनऊ।
6- महाप्रबन्धक जोन-7, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-7, हरदोई।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in